राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

नगरपालिका निर्वाचन, 2026
अति आवश्यक

संख्या– प0नि0 30–113/2025 1986

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.),
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह– जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक– 14.5.26

विषय :– मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. के भंडारण से संबंधित भंडार पंजी का संधारण करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. के सुरक्षित भंडार हेतु जिलों में **"स्थायी भंडार पंजी"** का संधारण किया जाना है। भंडार पंजी का प्रपत्र (नमूना) संलग्न कर भेजा जा रहा है, जिसके अनुसार वेयर हाउस में भंडारित ई.वी.एम. के प्रत्येक आदान–प्रदान की प्रविष्टि अनिवार्य है। स्थायी भंडार पंजी हेतु उत्कृष्ट कागज से निर्मित मोटे रजिस्टर का चयन किया जायेगा, जैसा की प्रायः बैंकों में लेजर बुक में प्रयोग होने वाले पंजियों के लिय किया जाता है।

2.स्थायी भंडार पंजी S3 EVM के नोडल पदाधिकारी तथा वेयर हाउस प्रभारी के पास एक–एक प्रतियों में संधारित रहेगी। यदि नोडल पदाधिकारी एवं वेयर हाउस प्रभारी का स्थानांतरण होता है तो अपने प्रतिस्थानी पदस्थापित पदाधिकारी को विधिवत् प्रभार प्रतिवेदन के साथ उक्त भंडार पंजी को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि स्थायी भंडार पंजी को किसी पदाधिकारी द्वारा स्थानांतरण के उपरान्त अपने प्रतिस्थानी पदस्थापित पदाधिकारी को प्रभार में नहीं दिया जाता है, तो वेयर हाउस में होने वाली ई.वी.एम. के संख्यात्मक त्रुटि के लिए वह पदाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। भविष्य में इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. स्थायी भंडार पंजी के प्रभार प्रतिवेदन में वहीं रीति अपनायी जायेगी जिस रीति से **"कैश बुक"** के प्रभार का आदान–प्रदान किया जाता है। अर्थात् स्थायी भंडार पंजी में अंतिम प्रविष्टि के ठीक नीचे प्रभार प्रदान करने वाले एवं प्रभार ग्रहण करने वाले नोडल पदाधिकारी–सह– जिला पंचायत राज पदाधिकारी/वेयर हाउस प्रभारी–सह–ए.डी.पी.आर.ओ./बी.पी.आर.ओ. के नाम एवं पदनाम स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जायेगा तथा उसके उपरी भाग पर उनके द्वारा हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित की जायेगी। नमूना निम्नवत् है–

प्रभार त्याग करने वाले पदाधिकारी	प्रभार ग्रहण करने वाले पदाधिकारी
(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
पदाधिकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में	पदाधिकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में
पदाधिकारी का पदनाम स्पष्ट अक्षरों में	पदाधिकारी का पदनाम स्पष्ट अक्षरों में

4. प्रत्येक स्थानांतरण के उपरान्त प्रभार ग्राही एवं प्रभार त्याग करने वाले पदाधिकारी द्वारा प्रभार प्रतिवेदन की छायाप्रति आयोग को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. प्रत्येक आदान–प्रदान के उपरान्त स्थायी भंडार पंजी के प्रविष्टि वाले पृष्ठ की छायाप्रति को पी.डी.एफ. फॉर्म में परिवर्तित कर आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar

उक्त निर्देश की प्रति अपने स्तर से सभी नामित नोडल पदाधिकारियों एवं वेयर हाउस प्रभारियों को प्रेषित करने की कृपा की जाए तथा आयोग के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक— प0नि0—30—113/2025......1986 पटना, दिनांक......14.5.26

प्रतिलिपि— सभी नोडल पदाधिकारी—सह—जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक— प.नि. 30—113/2025......1986 पटना, दिनांक—......14.5.26

प्रतिलिपि—आई.टी. मैनेजर/Vigrous टीम/श्री राहुल कुमार, एस.ई.आर. तकनीकी टीम /श्री विकास सिन्हा, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847) E-mail: secbihar

E:\dhiru\Prem sir letter.2.docx

भंडार पंजी का नमुना

जिला का नाम

क्र0 सं0	दिनांक (जिस तिथि को लेन–देन किया गया)	वेयर हाउस में पूर्व से उपलब्ध ई0वी0एम0 की सं0 (Opening Balance)				प्राप्ति का श्रोत/आदेश (पत्रांक एवं दिनांक)	दूसरे जिले/राज्य से ई0वी0एम0 प्राप्ति का विवरण				प्राप्ति का श्रोत/आदेश (पत्रांक एवं दिनांक)	दूसरे जिले/राज्य से ई0वी0एम0 प्रेषण का विवरण				प्राप्ति का श्रोत/आदेश (पत्रांक एवं दिनांक)	अंतिम रूप से उपलब्ध ई0वी0एम0 का विवरण (Closing Balance)				वेयर हाउस के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर	नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर
		C.U	B.U	SMM	Totalizer		C.U	B.U	SMM	Totalizer		C.U	B.U	SMM	Totalizer		C.U	B.U	SMM	Totalizer		